

31/18

नाम करीकेन उप०/P.O.  
...  
दिनांक 31/5/18  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
आदेश दिनांक 30/5/18  
पत्रावली में पत्रावली दिनांक 31/5/18

उपखण्ड अधिकारी  
कटमार (अलकर)

प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक  
अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली  
लांक अदालत में पंचायत मुख्यालय...  
पर दिनांक 31/5/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कटमार (अलकर)

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील  
जहाँ उर्फ) इजाजत के अन्तर्गत वकील उर्फ  
वकील हैं। अजाजत सं. 1 के विरुद्ध उक्त  
पक्षीय कार्यवाही की जाती है। इजाजत  
सं. 2 उर्फ) के अन्तर्गत पेश करने  
की नहीं करते। अतः उक्त सुनी जाती  
करानी के अन्तर्गत स्थित गण।  
अतः उक्त के अन्तर्गत स्थित गण।  
अजाजत (लीक) स्थित गण है। अतः स्थित  
उपखण्ड अधिकारी अजाजत निरस्त करने का  
नाम देना होगा। स्थायी (confirm)  
स्थित गण है। पत्रावली कैम्प कोर्ट  
स्थित गण वास के अन्तर्गत (ए) सुनी

अलकर